/आयु0क0उत्तरा0/वाणि0कर/विधि–अनुभाग/2016–17

कार्यालय आयुक्त कर,उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
दिनांक::देहरादून :: 18 अप्रैल, 2016

–:परिपत्र:–

मुख्यालय के परिपत्र संख्या 124/आयु0क0उत्तरा0/वाणि0कर/विधि–अनुभाग/ 2015–16/ देहरादून दिनांक 29 मार्च, 2016 से निर्देशित किया गया था कि गैर संवेदनशील मामलों में संशोधित नियम 7 के अनुसार केवल समस्त वांछित प्रपत्रों सहित ऑनलाइन दाखिल किये गये पंजीयन प्रार्थना पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे तथा समस्त प्रार्थना पत्र तथा अनुलग्नकों के नियमानुसार व पूर्ण होने की स्थिति में प्रार्थना पत्र का निस्तारण एक कार्यदिवस के भीतर करते हुये पंजीयन संख्या (TIN) जारी कर दी जायेगी। टिन जारी होने के उपरान्त अगले 10 कार्यदिवसों में सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी अथवा इस कार्य हेतु अधिकृत अधिकारी व्यापारी द्वारा घोषित किये गये पते पर एडवाइजरी विजिट (Advisory Visit) हेतु उपस्थित होंगे।

कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा एडवाइजरी विजिट (Advisory Visit) किये जाते समय व्यापारी द्वारा एवं अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में निम्न प्रकार निर्देश दिये जाते हैं:–

(क) व्यापारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही:–

1. व्यापारी द्वारा पंजीयन प्रार्थना पत्र की हार्डकॉपी, जिसमें सभी कॉलम पूर्ण हों तथा निर्धारित स्थान पर फोटो लगी हो एवं सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एवं अभिप्रमाणित हो, की प्रति तैयार रखी जायेगी।
2. व्यापारी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ जिन–जिन अभिलेखों को स्कैन करके अपलोड किया गया है उनके सत्यापन हेतु मूल प्रतियां उपलब्ध करायी जायेंगी।
3. यदि प्रार्थना पत्र अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिया गया है तो अधिकृत प्रतिनिधि व अधिकृत करने वाले, दोनों की फोटो लगा अधिकार पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त खण्ड (ख) के अन्तर्गत अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बिन्दु संख्या 1 में एडवाइजरी विजिट की तिथि नियत किये जाने के समय अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होने पर अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाये जाने हेतु सूचित किये गये अतिरिक्त अभिलेखों को भी एडवाइजरी विजिट (Advisory Visit) के समय व्यापारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(ख) अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही:–

1. ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्राप्त होते ही प्रार्थना पत्र पर दिये गये मोबाइल नम्बर/फोन नम्बर पर व्यापारी से एडवाइज़री विजिट की तिथि नियत की जायेगी। एडवाइज़री विजिट की तिथि नियत किये जाने के समय यदि व्यापारी द्वारा पंजीयन प्रार्थना पत्र के साथ अपलोड किये गये प्रपत्रों के अतिरिक्त, अधिकारी, कोई अन्य अभिलेख व्यापारी से प्राप्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक समझते है तो इस सम्बन्ध में व्यापारी को सूचित किया जायेगा।
2. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्कैन किये गये अभिलेखों का प्रिन्टआउट लिया जायेगा व अपने साथ व्यापार स्थल पर ले जाया जायेगा तथा उसका मिलान व्यापारी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की मूल प्रति से किया जायेगा एवं प्रिन्टआउट पर व्यापारी के अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर भी कराये जायेंगे।
3. इस परिपत्र के साथ दिये गये पंजीयन सर्वेक्षण प्रारूप में दी गयी सूचनाओं को पूर्ण किया जायेगा तथा इस पर अधिकारी व आवेदनकर्ता दोनों के द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। इसकी एक प्रति व्यापारी को भी दी जायेगी।
4. अधिकारी द्वारा घोषित व्यापार स्थल की जियो टैगिंग की जायेगी। यदि गोदाम व शाखा विजिटिंग अधिकारी के क्षेत्रान्तर्गत है तो उसकी जांच व जियो टैगिंग भी की जायेगी।

विधि
982
21/04/16

(i) कर भुगतान व रिटर्न प्रस्तुत करने की प्रक्रिया व समयसीमा।
(ii) इनपुट टैक्स का लाभ लेने की प्रक्रिया।
(iii) यदि व्यापारी को e-form का प्रयोग करना है तो इसकी प्रक्रिया।
(iv) इसके अतिरिक्त व्यापारी कुछ और जानकारी चाहता है तो [illegible] अवगत कराया जायेगा।

[illegible] यदि अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से बाहर शाखा [illegible] से सम्बन्धित क्षेत्राधिकार के अधिकारी द्वारा की [illegible] क्षेत्राधिकारी को पत्र प्रेषित किया जायेगा।

(ग) संकर्म संविदाकार हेतु

जिन व्यापारियों द्वारा संकर्म संविदा के कार्य हेतु पंजीयन [illegible] पत्र की हार्ड कॉपी व स्वयं द्वारा प्रमाणित अनुलग्नक पंजीकृत [illegible] करवाकर रसीद प्राप्त कर ली जायेगी। उनके अनुलग्नक का प्रारम्भिक [illegible] कराया जायेगा व न ही एडवाइजरी विजिट किया जायेगा तथा न ही [illegible] क्योंकि संकर्म संविदा कार्य करने का एक निश्चित स्थल नहीं होता है। [illegible] आवश्यकता प्रतीत होती है तो उक्त कार्यवाही बाद में कभी भी की जा सकती है।

उक्त प्रक्रिया गैर संवेदनशील वस्तुओं के सम्बन्ध में अपनायी जाती है। कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी विधिसम्मत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नः– पंजीयन सर्वेक्षण प्रारूप।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 279 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून।
3– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/रूद्रपुर/काशीपुर जोन।
4– ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0/प्रव0) वाणिज्य कर, देहरादून/ऋषिकेश/हरिद्वार/रूड़की/काशीपुर/रूद्रपुर/बाजपुर/खटीमा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5– ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
6– श्री अनुराग मिश्रा, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, हरिद्वार एवं Web-Information Officer को विभागीय **Website पर Update करने हेतु।**
7– डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर, नैनीताल।
8–अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सर्वश्री सत्या इण्डस्ट्रीज, मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र दे0दून।
9– प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय सर्वश्री क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड देहरादून।
10– दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल सर्वश्री नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड देहरादून।
11– प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीवान ट्रेडिंग कम्पनी 61– मोती बाजार देहरादून।
12– The whole sale dealers Association 14– आढ़त बाजार देहरादून।
13– प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन 222/5 गांधी ग्राम देहरादून।
14– समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय/विधि–अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

parivad

पंजीयन जाँच का प्रारूप

1– सर्वेक्षण का दिनांक ....

(क) उपस्थित व्यक्ति का नाम / फर्म की प्रास्थिति ....

2–(क) फर्म / कम्पनी का नाम व पता ....

(ख) ब्रान्च / गोदाम के विवरण ....

3–(क) टैक्स पेयर्स आईडेंटिफिकेशन नम्बर(TIN)..........................(ख) प्रभावी दिनांक ....

4– पंजीयन जिसके लिए आवेदन किया गया ....

(क) उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत ....

(1) नियमित डीलर के रूप में –

(2) एच्छिक(Voluntary) के रूप में –

(3) कैजुअल डीलर के रूप में –

(ख) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत ....

(1) धारा 7(1) के अन्तर्गत

(2) धारा 7(2) के अन्तर्गत

(ग) उत्तराखण्ड स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत ....

(घ) उत्तराँचल(उत्तरप्रदेश कराधान तथा भू–राजस्व विधि अधिनियम, 1975 अनुकूलन एवम् उपांतरण आदेश 2002) के अन्तर्गत ....

5– व्यापार का स्वरूप –

☐ निर्माता ☐ ट्रेडर्स ☐ कार्यसंविदाकार ☐ राईट टू यूज के अन्तर्गत ☐ अन्य

6– व्यापारिक वस्तुएँ –

(क) प्रान्तीय संव्यवहार हेतु – ....

(ख) केन्द्रीय संव्यवहार हेतु – ....

(ग) निर्यात हेतु – ....

7– व्यापारिक प्रतिष्ठान का विवरण –

(1) स्वयं की सम्पत्ति ☐

(क) सम्पत्ति का विवरण

....

....

(2) किराए पर ☐

(क) भवन स्वामी का नाम / पता

....

....

(ख) किराया

(ग) किरायानामा पंजीकृत है / अपंजीकृत है

(घ) यदि किरायानामा / अपंजीकृत है तो गवाहों के विवरण

(3) लीज पर ☐

(क) Lessor का नाम / पता

....

....

(ख) लीज की अवधि

(ग) लीज की राशि

1 .....

2 .....

8– व्यापार स्थल की चौहद्दी का विवरण –

(1) पूर्व में – (2) पश्चिम में – (3) उत्तर में (4) दक्षिण में

9– फर्म के बोर्ड की स्थिति – ☐ हाँ ☐ नहीं

10– कार्यरत कर्मचारी/स्टाफ की संख्या –

11– (क) इलेक्ट्रिक मीटर का नम्बर तथा सीलिंग सर्टिफिकेट (ख) वर्तमान रीडिंग .....
जिसके नाम जारी है, उसका उल्लेख .....

12– स्टाक का विवरण .....

(क) प्रान्तीय ..... (ख) आयातित .....

(i) कच्चा माल/सेमी फिनिश्ड माल ..... (i) कच्चा माल/सेमी फिनिश्ड माल .....

(ii) फिनिश्ड गुड्स ..... (ii) फिनिश्ड गुड्स .....

(iii) वेस्ट प्रोड्क्ट्स ..... (iii) ट्रान्सफर आफ राईट टू यूज के

(iv) ट्रान्सफर आफ राईट टू यूज के अन्तर्गत अन्तर्गत प्राप्त गुड्स .....
अन्तरित गुड्स .....

13– अन्य विवरण .....

(i) यदि निर्माता द्वारा मशीनरी लगायी हुई है तो उसके विवरण .....

(ii) यदि व्यापार स्थल का निर्माण कराया गया है तो संविदाकार के विवरण जिससे यह कार्य कराया गया .....

(iii) लोन/बैंक के विवरण जिससे लोन लेकर व्यापार आरम्भ किया गया –

(क) बैंक का नाम (ख) शाखा (ग) लोन एकाउण्ड नम्बर

उपस्थित व्यक्ति के हस्ताक्षर

ह0 सर्वेक्षण अधिकारी
सर्वेक्षण अधिकारी का नाम व
पदनाम की मोहर

14– सर्वेक्षण अधिकारी की स्पष्ट अभ्युक्ति .....

ह0 सर्वेक्षण अधिकारी
सर्वेक्षण अधिकारी का नाम व
पदनाम की मोहर